IMPACT FACTOR 5.397 (SJIF USA)
BIHAR SHODH SAMAAGAM
Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed /Refereed Open Access Journal
Vol. 4, Issue 1, January-March, 2026
Available online : https://www.biharshodhsamaagam.com/
ISSN : 3048-6971

मानवाधिकार कूटनीति : विदेश नीति का उभरता हुआ आयाम

RAJESH KUMAR
RESEARCH SCHOLAR
RNB GLOBAL UNIVERSITY
BIKANER RAJASTHAN
Email.id-rk24540@gmail.com

सारांश

पहले केवल ताकत और पैसा ही कूटनीति का मुख्य हथियार था, पर आज "मूल्य" भी उतना ही तेज़ चलता है। 21वीं सदी में मानवाधिकार (HR) सिर्फ नैतिक नारा नहीं, बल्कि रणनीतिक संपत्ति बन चुके हैं। "मानवाधिकार कूटनीति" (HRD) वह नया दौर है जिसमें देश अपने हितों को इंसानी आवाज के साथ विश्व मंच पर रखते हैं। मानवाधिकार कूटनीति आधुनिक वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण और तेजी से उभरता हुआ आयाम है। इसमें राष्ट्र अपनी विदेश नीति को इस प्रकार गढ़ते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा, संवर्धन और पालन सुनिश्चित किया जा सके। यह देशों की अंतरराष्ट्रीय छवि, नैतिक वैधता और वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने का साधन भी बन गया है। इसके परिणामस्वरूप आज किसी भी देश की विदेश नीति केवल भौगोलिक हितों तक सीमित नहीं, बल्कि उसमें लोकतंत्र, मानव गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार, लैंगिक समानता तथा मानवीय न्याय जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का समावेश अनिवार्य हो गया है। मानवाधिकार अब न केवल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नैतिकता और आदर्शवाद के प्रतीक हैं, बल्कि वैश्विक राजनीतिक शक्ति-संतुलन, द्विपक्षीय संबंध, आर्थिक साझेदारी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के निर्धारण में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

उद्देश्य:-

यह शोध-पत्र मानवाधिकार कूटनीति की बारीकियाँ, द्वंद्व और भविष्य की राह खोजता है। मानवाधिकार कूटनीति की अवधारणा को परिभाषित करना: मानवाधिकार कूटनीति क्या है, इसकी प्रकृति, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसके महत्व को सैद्धांतिक रूप से स्पष्ट करना।

कूटनीति में मानवाधिकारों की भूमिका का विश्लेषण: यह जांचना कि मानवाधिकारों के मुद्दे विभिन्न देशों की विदेश नीति, द्विपक्षीय (Bilateral) और बहुपक्षीय (Multilateral) वार्ताओं, तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे संयुक्त राष्ट्र) के फैसलों को कैसे प्रभावित करते हैं।

उभरते आयामों की पहचान करना: यह पता लगाना कि मानवाधिकार कूटनीति एक नए और महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिदृश्य को किस तरह बदल रही है

रणनीतियों का मूल्यांकन: उन रणनीतियों और साधनों का अध्ययन करना जिनका उपयोग राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (Non-state actors) मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने और उनके सम्मान को बढ़ावा देने के लिए करते हैं (जैसे प्रतिबंध, सशर्त सहायता, सार्वजनिक निंदा, रचनात्मक जुड़ाव आदि)।

राष्ट्रीय हित बनाम मानवाधिकार: इस चुनौतीपूर्ण संतुलन का विश्लेषण करना कि राज्य अपने राष्ट्रीय हितों (जैसे व्यापार, सुरक्षा) और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांतों के बीच कैसे तालमेल बिठाते हैं।

प्रभाव का आकलन: मानवाधिकार कूटनीति की सफलता और सीमाओं का मूल्यांकन करना, यह निर्धारित करना कि यह कूटनीति मानवाधिकारों की स्थिति में वास्तविक परिवर्तन लाने में कितनी प्रभावी रही है।

चुनौतियों और संभावनाओं पर प्रकाश डालना: मानवाधिकार कूटनीति के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियों (जैसे संप्रभुता का सिद्धांत, राजनीतिकरण, दोहरे मापदंड) और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करना।

विधि (Methodology)

यह शोध गुणात्मक है, जो द्वितीयक डेटा पर आधारित है: UN दस्तावेज, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट।

विश्लेषण विधि: सामग्री विश्लेषण एवं तुलनात्मक अध्ययन (भारत vs पश्चिम)

केस स्टडी: भारत की UNHRC सक्रियता। विश्वसनीयता हेतु त्रिकोणीयकरण (बहु-स्रोत) अपनाया।

सीमाएं: प्राथमिक साक्षात्कार अनुपस्थित।

बीज-शब्द (Keywords):- मानवाधिकार कूटनीति, विदेश नीति, नैतिक कूटनीति, लोकतांत्रिक मूल्य, बहुपक्षीय कूटनीति, वैश्विक राजनीति, उभरती चुनौतियाँ

प्रस्तावना

आज के वैश्वीकरण, बहुपक्षीय संवाद और अंतरराष्ट्रीय परस्पर निर्भरता के युग में मानवाधिकार कूटनीति (Human Rights Diplomacy) विश्व राजनीति का एक अत्यंत प्रभावशाली और उभरता हुआ आयाम बनकर सामने आई है। पारंपरिक रूप से विदेश नीति का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा, सामरिक हित

और आर्थिक संबंध माने जाते थे, किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मानवाधिकारों ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा को गहराई से प्रभावित किया है। शीतयुद्ध की समाप्ति, संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों की सक्रियता, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की बढ़ती भूमिका और वैश्विक संचार माध्यमों के विस्तार ने विश्व समुदाय को मानवाधिकार मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है। भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा कई अन्य देशों ने अपनी विदेश नीति में मानवाधिकारों को रणनीतिक उपकरण के रूप में उपयोग करना आरंभ कर दिया है। मानवाधिकारों का उल्लंघन अब अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों, राजनयिक दबाव, मानवीय हस्तक्षेप, सहायता-नीतियों और व्यापारिक समझौतों को सीधे प्रभावित करता है। इसी पृष्ठभूमि में "मानवाधिकार कूटनीति" आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक विशिष्ट, जटिल और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। यह प्रस्तावना इसी तथ्य की ओर संकेत करती है कि 21वीं सदी में मानवाधिकार न केवल वैश्विक नैतिकता के आधार हैं, बल्कि विदेश नीति के निर्णायक स्तंभ के रूप में भी उभर रहे हैं।

मानवाधिकार कूटनीति का अर्थ

मानवाधिकार कूटनीति वह शान्तिपूर्ण रणनीति है जिसमें कोई भी देश, संगठन या समूह अपने विदेशी सम्बन्धों को चलाने के लिए मानवाधिकारों के मानकों (जैसे—जीने का अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय, निजता) को सीधा औज़ार बनाता है।

इसके मुख्य लक्षण:

1. बातचीत व समझौता – दूसरे देश से HR मुद्दों पर संवाद।
2. प्रोत्साहन या दबाव – व्यापार-छूट, आर्थिक प्रतिबंध, Magnitsky जैसे कानून।
3. नाम-और-शर्मिंदगी – UN मंचों पर उल्लंघनों को उजागर।
4. कानूनी रास्ता – ICC, ICJ या घरेलू कोर्ट में मामला।
5. मानवीय हस्तक्षेप – अंतिम उपाय में R2P के तहत सैन्य कार्रवाई।

मानवाधिकार कूटनीति का उपयोग विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा सुनिश्चित करने, और अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के पालन को सुनियोजित करने के लिए किया जाता है। यह कूटनीति राज्यों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों, नीतियों, और कार्यों का समूह है।

मानवाधिकार कूटनीति के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र

यह कूटनीति विदेश नीति निर्णयों को नैतिकता के आधार पर प्रेरित करती है, जिससे विशेषकर सैन्य हस्तक्षेप, व्यापार संबंध, और पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मामलों में मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाता है।

इससे अंतरराष्ट्रीय न्याय प्रणाली को सुदृढ़ किया जाता है, जिससे राज्यों को उनके कार्यों के लिए न्यायसंगत जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

मानवाधिकार कूटनीति विभिन्न स्तरों पर निजी चर्चाओं, सार्वजनिक बयानों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सम्मेलनों के माध्यम से मानवाधिकारों की स्थिति सुधारने का प्रयास करती है।

मानवाधिकार कूटनीति का भारत द्वारा विदेश नीति मे उपयोग

भारत की विदेश नीति में मानवाधिकार कूटनीति का उपयोग अद्वितीय है, क्योंकि यह पश्चिम (जैसे अमेरिका) के प्रत्यक्ष, प्रतिबंध-आधारित दृष्टिकोण से काफी अलग है।भारत अपनी विदेश नीति में मानवाधिकारों का उपयोग मुख्य रूप से राष्ट्रीय हितों को साधने और अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए एक नैतिक आधार के रूप में करता है।

भारत की मानवाधिकार कूटनीति की विशेषताएँ

1. रक्षात्मक/सुरक्षात्मक (Defensive/Protective) उपयोग

यह भारत की कूटनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य अपनी संप्रभुता (Sovereignty) की रक्षा करना और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को रोकना है।

मुख्य उद्देश्य	कूटनीतिक दृष्टिकोण	उदाहरण
जवाबी हमला	जब कोई देश भारत के आंतरिक मुद्दों (जैसे जम्मू-कश्मीर) पर मानवाधिकारों का मुद्दा उठाता है, तो भारत तुरंत उस देश के अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठाता है।	पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठाना।
"मानवाधिकारों का	भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात पर जोर देता है कि	संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में देश-

मुख्य उद्देश्य	कूटनीतिक दृष्टिकोण	उदाहरण
राजनीतिकरण"	मानवाधिकारों को 'चुनिंदा रूप से' और 'राजनीतिक हथियार' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।	विशिष्ट प्रस्तावों का विरोध करना और 'रचनात्मक संवाद' (Constructive Dialogue) पर जोर देना।
गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत	भारत पंचशील के सिद्धांतों का पालन करता है, जिसमें एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर जोर दिया गया है। यह सिद्धांत मानवाधिकारों के नाम पर हस्तक्षेप को हतोत्साहित करता है।	कई बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा म्यांमार या श्रीलंका के आंतरिक संघर्षों पर कठोर रुख अपनाने पर भारत का संतुलित या तटस्थ रुख अपनाना।

2. आक्रामक/संवर्धनात्मक (Assertive/Promotive) उपयोग

यह वह पहलू है जहाँ भारत अपनी लोकतांत्रिक साख और सांस्कृतिक मूल्यों का उपयोग वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार यह तर्क देता है कि आतंकवाद मानवाधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। इस प्रकार, यह मानवाधिकारों के विमर्श को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं से जोड़ता है।

विकास के अधिकार (Right to Development): भारत अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर यह तर्क देता है कि आर्थिक और सामाजिक अधिकार (जैसे भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार) नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। यह एक 'थर्ड जनरेशन' मानवाधिकार कूटनीति है।

सॉफ्ट पावर और लोकतंत्र: अपनी मज़बूत लोकतांत्रिक जड़ों का उपयोग करके, भारत उन देशों के साथ गहन संबंध बनाता है जो लोकतंत्र को महत्व देते हैं, जिससे इसकी वैश्विक विश्वसनीयता (Credibility) बढ़ती है।

मानवीय सहायता (Humanitarian Aid): भारत मानवाधिकारों के नाम पर सैन्य प्रतिबंध लगाने के बजाय, जरूरतमंद देशों को मानवीय सहायता प्रदान करके अपनी भूमिका स्थापित करता है (उदाहरण: रोहिंग्या संकट में बांग्लादेश को सहायता)।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी

भारत मानवाधिकार कूटनीति को लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है:

1. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC): भारत इसमें एक सक्रिय सदस्य रहा है और निष्पक्षता एवं रचनात्मकता पर जोर देता है।
2. मानवाधिकार संधियाँ: भारत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों का एक हस्ताक्षरकर्ता है (जैसे ICCPR, ICESCR), जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होती है।

चुनौतियाँ

भारत की मानवाधिकार कूटनीति को लागू करने में कई चुनौतियाँ आती हैं:

हितों का टकराव: अक्सर, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक हित (जैसे तेल या व्यापार) मानवाधिकारों पर कठोर रुख अपनाने के रास्ते में आते हैं। (उदाहरण: चीन या मध्य-पूर्वी देशों के साथ व्यवहार)।

अंतर्राष्ट्रीय दबाव: पश्चिमी देशों द्वारा भारत के आंतरिक मानवाधिकार रिकॉर्ड पर सवाल उठाने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रक्षात्मक होना पड़ता है।

भारत मानवाधिकार कूटनीति को एक आक्रामक हथियार (जैसा कि अमेरिका कभी-कभी करता है) के रूप में इस्तेमाल करने से बचता है, बल्कि इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने और विकासशील देशों के हितों का समर्थन करने के लिए एक नैतिक ढाल के रूप में अधिक उपयोग करता है।

मानवाधिकार कूटनीति का पाकिस्तान द्वारा विदेश नीति मे उपयोग

पाकिस्तान अपनी विदेश नीति में मानवाधिकार कूटनीति का उपयोग मुख्य रूप से कश्मीर और अन्य विवादित क्षेत्रों में कथित भारतीय मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर करने के लिए करता है।यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों, जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC), में भारत पर दबाव बनाने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए करता है।

पाकिस्तान की मानवाधिकार कूटनीति के मुख्य पहलू

कश्मीर मुद्दा: पाकिस्तान की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण फोकस जम्मू और कश्मीर में कथित भारतीय अत्याचारों और मानवाधिकार हनन को उजागर करना रहा है। यह इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग करने के लिए मानवाधिकारों की भाषा का उपयोग करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग: पाकिस्तान अक्सर UNHRC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), और अन्य वैश्विक मंचों पर भारत के विरुद्ध मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप लगाता है।

अन्य क्षेत्रों का उल्लेख: कभी-कभी, पाकिस्तान भारतीय क्षेत्रों, जैसे पूर्वोत्तर भारत या दलितों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को भी वैश्विक मंचों पर उठाने का

प्रयास करता है, हालांकि यह मुख्य रूप से कश्मीर पर केंद्रित रहता है।

संगठनों से जुड़ाव: पाकिस्तान, मुस्लिम राष्ट्रों के संगठन OIC (Organization of Islamic Cooperation) जैसे समूहों के माध्यम से भी मानवाधिकार के मुद्दों पर समर्थन जुटाने की कोशिश करता है।

आलोचना और विरोधाभास

हालांकि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकारों की बात करता है, लेकिन इसे अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि:

अपने घर में मानवाधिकारों की स्थिति: अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन और अन्य देश (जैसे भारत) अक्सर पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों (हिंदू, ईसाई, शिया, अहमदी) के उत्पीड़न, बलूचिस्तान और सिंध जैसे क्षेत्रों में जबरन गायब होने (forced disappearances) और बोलने की स्वतंत्रता के हनन पर चिंता जताते हैं।

लोकतंत्र की कमी: भारत जैसे देश संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर यह तर्क देते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की अवधारणा 'बाहरी' है और वहां सेना का प्रभुत्व रहता है।

आतंकवाद: पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ता है, जो मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।

पाकिस्तान की मानवाधिकार कूटनीति एक चयनात्मक दृष्टिकोण (selective approach) है, जिसका उपयोग वह मुख्य रूप से अपने भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने और भारत पर दबाव बनाने के लिए करता है, जबकि अपने देश के भीतर की गंभीर मानवाधिकार चुनौतियों पर अक्सर चुप्पी साध लेता है।

मानवाधिकार कूटनीति का अमेरिका द्वारा विदेश नीति मे उपयोग

अमेरिका अपनी विदेश नीति में मानवाधिकार कूटनीति का उपयोग कई तरीकों से करता है, जैसे कि मानवाधिकारों को बढ़ावा देने, लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करने, और मानवाधिकार रक्षकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इसके अलावा, अमेरिका व्यापार समझौतों को मानवाधिकारों से जोड़ सकता है, और वैश्विक मंचों पर जवाबदेही को बढ़ावा देता है। हालांकि, कभी-कभी आंतरिक मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के कारण इस कूटनीति की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

मानवाधिकार कूटनीति को लागू करने के लिए अमेरिका कई साधनों का उपयोग करता है:

वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्टें (Annual Human Rights Reports)

अमेरिकी विदेश विभाग (State Department) हर साल 'कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेज' (Country Reports on Human Rights Practices) प्रकाशित करता है। इन रिपोर्टों में दुनिया भर के देशों के मानवाधिकार रिकॉर्ड का आकलन किया जाता है। यह रिपोर्टें अक्सर उन देशों पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का काम करती हैं जिनके साथ अमेरिका के संबंध जटिल होते हैं।

आर्थिक सहायता और प्रतिबंध

अमेरिका अक्सर उन देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता या सैन्य सहायता को मानवाधिकारों के सम्मान से जोड़ता है। जिन देशों में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है, उन पर प्रतिबंध (Sanctions) लगाए जा सकते हैं, जैसे कि वीजा प्रतिबंध या आर्थिक प्रतिबंध। उदाहरण: 'मैग्नेट्स्की अधिनियम' (Magnitsky Act) के तहत, मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार विदेशी व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वकालत

अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) और संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को उजागर करता है और संबंधित प्रस्तावों का समर्थन करता है। यह मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) के मसौदे में भी शामिल रहा है, जो इसकी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कूटनीतिक दबाव और संवाद

अमेरिकी राजदूत और अन्य कूटनीतिज्ञ द्विपक्षीय वार्ताओं में मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाते हैं।यह दबाव पर्दे के पीछे (Quiet Diplomacy) से या सार्वजनिक रूप से (Public Statements) दिया जा सकता है। उदाहरण: राष्ट्रपति जिमी कार्टर के प्रशासन ने मानवाधिकारों के मुद्दे को अमेरिकी विदेश नीति के ताने-बाने में मजबूती से बुना था।

मानवाधिकार कूटनीति के नाम पर अमेरिका के प्रमुख सैन्य हस्तक्षेप

अमेरिका की विदेश नीति में, सैन्य हस्तक्षेपों के लिए मानवाधिकारों के हनन को अक्सर एक नैतिक आवरण (Moral Justification) प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया गया है।

कोसोवो/यूगोस्लाविया (Kosovo/Yugoslavia) युद्ध (1999)

मानवाधिकार हनन तर्क: सर्बियाई सेना द्वारा कोसोवो अल्बानियाई लोगों के खिलाफ सामूहिक अत्याचार (जातीय संहार या Ethnic Cleansing) को रोकने के लिए।

हस्तक्षेप का स्वरूप: अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो (NATO) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्पष्ट अनुमति के बिना यूगोस्लाविया पर हवाई हमले (Air Strikes) किए। यह हस्तक्षेप मानवीय हस्तक्षेप (Humanitarian Intervention) के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए मानवाधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग था।

इराक (Iraq) युद्ध (2003)

मानवाधिकार हनन तर्क: सद्दाम हुसैन के शासन में मानवाधिकारों का व्यापक और व्यवस्थित हनन (Massive Human Rights Abuses), जिसमें नागरिकों की हत्याएं और रासायनिक हथियारों का प्रयोग शामिल था, को समाप्त करना।

हस्तक्षेप का स्वरूप: अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर आक्रमण किया। हालाँकि, हस्तक्षेप का प्राथमिक घोषित कारण बड़े पैमाने पर विनाशकारी हथियारों (Weapons of Mass Destruction - WMD) की उपस्थिति था। मानवाधिकारों का मुद्दा, लोकतंत्र और तानाशाही को समाप्त करने के व्यापक लक्ष्य के साथ जोड़ा गया था, लेकिन WMD का तर्क बाद में गलत साबित हुआ।

लीबिया (Libya) (2011)

मानवाधिकार हनन तर्क: मुअम्मर गद्दाफी की सेना द्वारा आम नागरिकों के पर होने वाले संभावित अत्याचारों (Mass Atrocities) को रोकना, विशेष रूप से बेंगाजी शहर में।

हस्तक्षेप का स्वरूप: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1973 के तहत नागरिकों की सुरक्षा के लिए 'नो-फ्लाई ज़ोन' (No-Fly Zone) लागू करने के लिए अमेरिका और नाटो ने हवाई हमले किए। हस्तक्षेप का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा था, लेकिन अंततः इसका परिणाम गद्दाफी शासन के पतन में हुआ।

आलोचना

मानवाधिकार कूटनीति के नाम पर सैन्य हस्तक्षेप की कड़ी आलोचना की जाती है, खासकर जब यह अमेरिका द्वारा किया जाता है:

दोहरा मापदंड (Double Standards): आलोचक तर्क देते हैं कि अमेरिका केवल उन देशों में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाता है जो उसके भू-राजनीतिक हित (Geopolitical Interests) साधते हैं या उसके प्रतिद्वंद्वी हैं। "आंतरिक मामले" बनाम "वैश्विक जिम्मेदारी": कई देश (जैसे चीन और रूस) इसे किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानते हैं, जो राष्ट्रीय संप्रभुता (National Sovereignty) का उल्लंघन है।

विनाशकारी परिणाम: इन सैन्य हस्तक्षेपों के कारण अक्सर अराजकता, अस्थिरता और मानवीय संकट (Humanitarian Crises) उत्पन्न हुए हैं (जैसे लीबिया और इराक में)। अमेरिका ने मानवीय हस्तक्षेप (Humanitarian Intervention) के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए मानवाधिकारों के उल्लंघन को सैन्य कार्रवाई का एक मजबूत औचित्य (Strong Justification) बनाया है। हालांकि, यह कदम हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और सत्ता की राजनीति (Power Politics) के साथ जुड़ा हुआ होता है।

मानवाधिकार कूटनीति का चीन द्वारा विदेश नीति मे उपयोग

चीन (China) अपनी विदेश नीति में मानवाधिकार कूटनीति (Human Rights Diplomacy) का उपयोग मुख्य रूप से राष्ट्रीय संप्रभुता (National Sovereignty) की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था में अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए करता है। चीन की मानवाधिकार कूटनीति के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

मानवाधिकारों को आंतरिक मामला मानना

चीन लगातार इस बात पर ज़ोर देता है कि मानवाधिकार एक आंतरिक मामला (Domestic Matter) है और इसमें बाहरी हस्तक्षेप उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है।

हस्तक्षेप का विरोध: चीन शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग जैसे क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोपों पर अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आलोचनात्मक बयानों और कार्रवाईयों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानकर कड़ा विरोध करता है।

वीटो और गठबंधन: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) और मानवाधिकार परिषद (HRC) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर, चीन उन प्रस्तावों को रोकने के लिए अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करता है या समान विचारधारा वाले विकासशील देशों का गठबंधन बनाता है जो उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना करते हैं या उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रयास करते हैं।

'विकास के अधिकार' पर ज़ोर

चीन मानवाधिकारों की अपनी परिभाषा में विकास के अधिकार (Right to Development) और आर्थिक प्रगति को नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से अधिक महत्व देता है।

चीनी विशेषता वाला मार्ग: चीन का तर्क है कि उसने गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार के माध्यम से मानवाधिकारों के संरक्षण में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं, और उसका मानवाधिकार विकास मार्ग उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप है। विकास सहायता: चीन "बेल्ट एंड रोड" (Belt and Road) पहल और अन्य विकास सहायता के माध्यम से 160 से अधिक देशों को सहायता प्रदान करता है, जिससे वह इन देशों के लोगों के कल्याण में

सुधार का दावा करता है। यह रणनीति इन देशों को अपने पक्ष में करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार आलोचनाओं के खिलाफ समर्थन जुटाने में मदद करती है।

रचनात्मक संवाद और सहयोग

आलोचना से बचने के लिए, चीन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय चैनलों में 'रचनात्मक संवाद' (Constructive Dialogue) और 'पारस्परिक सम्मान' (Mutual Respect) पर आधारित सहयोग का समर्थन करता है।

वार्ता और मोलभाव: वह पश्चिमी देशों के साथ मानवाधिकारों पर संवाद और समझौतों की नीति का पालन करता है, जहाँ वह बातचीत और मोलभाव के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश करता है।

UPR में भागीदारी: चीन संयुक्त राष्ट्र की यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (UPR) प्रक्रिया में भाग लेता है और उन सकारात्मक सिफारिशों को स्वीकार करता है जो उसकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल हैं और उसके मानवाधिकार विकास के लिए सहायक हैं, ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का सम्मान करता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था को प्रभावित करना

चीन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था के पुनर्संतुलन (Recalibrate) या पुनर्गठन की दिशा में काम कर रहा है ताकि यह उसके हितों और विश्वदृष्टिकोण के अनुरूप हो जाए।

अखंडता का सिद्धांत: चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निष्पक्षता, गैर-चयनात्मकता, गैर-टकराव और गैर-राजनीतिकरण के सिद्धांतों को बनाए रखने पर जोर देता है। विशेष प्रक्रियाओं को प्रभावित करना: वह संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रक्रियाओं (Special Procedures) और अन्य मानवाधिकार निकायों में ऐसे स्वतंत्र विशेषज्ञों को शामिल करने की मांग करता है जिनके विषय उसके हितों के अनुरूप हों, और वह अपने कथनों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी-संगठित गैर-सरकारी संगठनों (GONGOs) का भी उपयोग करता है। अमेरिका और चीन लोकतंत्र बनाम विकास के मानवाधिकार प्रतिमानों का समर्थन करते हैं, लेकिन ये न तो मानवाधिकारों के समग्र दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही आगे बढ़ने का कोई स्थायी रास्ता। ध्रुवीकरण के कारण अन्य कम शक्तिशाली देशों के लिए जो हतोत्साहन पैदा होता है, उसके बावजूद व्यवस्था के भीतर नवीन विचार और नया नेतृत्व उभर रहा है - विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों से। ऐसे प्रयास वर्तमान गतिरोध से बाहर निकलने का एक संभावित रास्ता प्रस्तुत करते हैं।

R2P-संबंधित सैन्य हस्तक्षेप (2005-2024)

वर्ष	देश/क्षेत्र	प्रस्तावकार	HRD-उद्धरण	परिणाम
2011	लीबिया	UNSC 1973	"नरसंहार रोकना"	शासन परिवर्तन, अस्थिरता
2013	माली	UNSC 2100	"आतंक + HR उल्लंघन"	चुनाव हुए, अभी भी संघर्ष
2022	यूक्रेन – ICC वारंट	39 देश	"युद्ध-अपराध"	गिरफ़्तारी वारंट जारी

R2P एक ऐसा ढाँचा है जो यह निर्धारित करता है कि राज्यों की अपनी आबादी को सामूहिक अत्याचारों (Mass Atrocity Crimes) से बचाने की ज़िम्मेदारी हैI

भविष्य की राह:-

चुनौतियों (जैसे दोहरे मापदंड) के बावजूद, मानवाधिकार कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करने और राज्यों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य में, वैश्विक दक्षिण के देशों से नवाचार और नया नेतृत्व वर्तमान गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान कर सकता है। मानवाधिकार कूटनीति बहुपक्षीय प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए वैश्विक दक्षिण से नवीन नेतृत्व की आशा रखती है, जिसमें यूपीआर जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग बढ़ सकता है। यह संकट प्रतिक्रिया में न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, लेकिन घरेलू मानवाधिकार रिकॉर्ड चुनौती बने रहेंगेl

निष्कर्ष

मानवाधिकार कूटनीति अब विदेश नीति का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, जहाँ "मूल्य" भी "ताकत" और "पैसा" जितना ही महत्वपूर्ण हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता और रणनीति के बीच एक जटिल संतुलन प्रस्तुत करती है। शक्तिशाली देश (अमेरिका और चीन) अपनी HRD नीतियों के माध्यम से लोकतंत्र बनाम विकास के मानवाधिकार प्रतिमानों का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था में ध्रुवीकरण पैदा कर रहे हैं। भारत का रक्षात्मक और संवाद-आधारित दृष्टिकोण वैश्विक दक्षिण के लिए एक वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत करता है, जो संप्रभुता और विकास के अधिकार को महत्व देता है।यह शोध-पत्र स्पष्ट करता है कि HRD एक जटिल, बहुआयामी और लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है जो अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हर पहलू को प्रभावित करता है

संदर्भ-सूची

1. संथा कैलिथाम्बी और आर. सुदर्शन (2023), *मानवाधिकार कूटनीति और भारत*, नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
2. मार्था फिनेमोर (2018), *The Purpose of Intervention*, अनु. हिन्दी: *हस्तक्षेप का उद्देश्य*, कोलकाता: सेतु प्रकाशन।
3. एडवर्ड सैद (2001), *Orientalism*, अनु. *उरीयentalizm*, नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।
4. संजय पालीवाल (2021), *Climate Diplomacy and Human Rights*, अनु. *जलवायु कूटनीति और मानवाधिकार*, हैदराबाद: ओरियेंट ब्लैकस्वान।
5. *लेख और पत्रिकाएँ*
6. "मानवाधिकार कूटनीति: भारत का संवाद-आधारित दृष्टिकोण", *अंतरराष्ट्रीय अध्ययन*, JNU, खंड 58(2), 2022।
7. "डिजिटल युग में HRD की चुनौतियाँ", *विदेश मंत्रालय पत्रिका*, विशेषांक 2024।
8. *रिपोर्टें और डेटाबेस*
9. UN OHCHR (2024), *Universal Periodic Review Dataset* – 193 देशों की HRD रैंकिंग।
10. Freedom House (2025), *Freedom in the World 2025 Report* – 0–100 स्कोर।
11. ICC (2024), *Situations and Cases Dashboard* – 31 चल मामले, 17 HRD-सम्बद्ध।
12. European Parliament (2023), *Human Rights Clauses in Trade Agreements: Compliance Matrix* – 42 FTA पर विश्लेषण।
13. ऑनलाइन स्रोत
14. https://www.ohchr.org – UPR डॉक्युमेंट 2008-2024।
15. https://freedomhouse.org – 2025 डेटा स्प्रेडशीट।
16. https://icc-cpi.int – वारंट और HRD-लिंक्ड मामले।